न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या– 115/2017

प्रार्थी–

1. भंवरलाल पुत्र सुखाराम
   जाति–जाट निवासी–जौचिणा, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. केसरदेवी पुत्री सुखाराम
2. सीतादेवी पुत्री सुखाराम
3. राजूदेवी पुत्री सुखाराम
4. मुन्नीदेवी पुत्री सुखाराम
5. बुगीदेवी पत्नि भंवरलाल
   जातियान–जाट निवासीगण–जौचिणा, तहसील–जायल जिला–नागौर।
6. विजय कुमार पुत्र भंवरलाल
7. हरीश कुमार पुत्र भंवरलाल
8. श्रवणराम पुत्र भंवरलाल
9. मुकेश पुत्र भंवरलाल
10. जसौदा पुत्री भंवरलाल
    जातियान–जाट निवासीगण जौचिणा, तहसील–जायल जिला–नागौर।
11. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
12. कानीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति–जाट निवासी–जौचिणा तह. जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा अप्रार्थी सं. 1 से 5 व 9 से 10 की ओर
3. अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा, गोपालराम गोदारा अप्रार्थी 6, 7, 8 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 11 परफोर्मा पक्षकार।
5. अधिवक्ता श्री अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

31/03/2017
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 115/2017
भंवरलाल बनाम केशरदेवी वगैरह
दिनांक : 31/03/2021

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में पक्षकारान की वंशावली दर्शाते हेतु प्रार्थना अधीन धारा 212 आर. टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी की भूमि ग्राम जौचिणा तहसील के खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78 के रूप में स्थित है। उक्त खेताय की भूमि के अलावा अन्य खसरा नं. 78 व 32 भी है जो खरीदसुदा खातेदारी की भूमि होने से इस प्रकरण में उक्त खसरान के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। ग्राम जौचिणा के विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78 के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 रेकडेर्ड खातेदार है जिसने अपनी सुविधानुसार बंटवारा कर मौके पर अलग–2 काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 द्वारा मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के सहखातेदारी खेत खसरा नं. 484 पर काश्त करने से मना कर दिया है व खेत पर काश्त नहीं करने दे रहे है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 6 से 8 द्वारा खसरा नं. 403 पर पूर्व से नाजायज कब्जा कर अवैध नलकूप करवा कर बिना विधुत कनेक्शन के नलकूप संचालित कर इस खसरे पर सिंचाई की जा रही है। मौके पर कब्जा भी अवैध है व नलकूप भी अवैध तौर पर तरीके से खुदवाया जाकर बिना विधुत प्रवाह चौरी छिपे विधुत से नलकूप चलाया जाकर फसल बोई व अवेंरी जाती है, जबकि उपरोक्त खसरे के रेकडेर्ड खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है, अभी तक राजस्व रेकर्ड व मौके पर किसी प्रकार से भौतिक बंटवारा नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के हक बंट में पहले तो प्रार्थी की भूमि तय होगी फिर प्रार्थी की भूमि में से 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को बाई मिट्स बाउण्ड के प्राप्त होना है। परन्तु उक्त अप्रार्थीगण द्वारा लाठी के बल पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को आपराधिक कृत्य से बेदखल कर दिया है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 द्वारा खसरा नं. 484 रकबा 12.02 बीघा पर काश्त करसण नही करने देने से वाद कारण मौजा जौचिणा उत्पन्न हुआ है। अतः मुतदाविया खेताय की भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अन्तिम तौर पर निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 को ग्राम जौचिणा तहसील जायल के खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78, की भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करने तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार व्यवधान ताफैसला वाद नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 9 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री बैंदा ने वकालातनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 6, 7 व 8 की ओर से वकील श्री गोदारा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 11 का सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त होकर शामिल मिसल है, जो कि केवल परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है।

प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के जवाब हेतु विचाराधीन चलते एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का मूल वाद में प्रार्थीयां कानीदेवी पत्नी भंवरलाल को पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत् पेश हुआ है जो दिनांक 18.01.2019 को स्वीकार किया गया तथा प्रार्थी कानीदेवी को अप्रार्थी संख्या 12 के रूप में प्रकरण हाजा व मूल वाद में पक्षकार संयोजित किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 6 से 8 ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र का काउन्टर जवाब पेश करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त पैराज गलत, निराधार, सारहीन बताया तथा विवादग्रस्त खसरान की भूमि (खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78) प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 से 8 की पुश्तैनी, कब्जे काश्त व बंट की होना बताया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का उक्त खेतायों की भूमि हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 से प्रार्थी द्वज्ञरा अपनी पहली पत्नी से विवाह विच्छेद के विवाद किया जो अवैध व शून्य है। अप्रार्थी बुगीदेवी अप्रार्थी भंवरलाल की विधिक पत्नी नहीं है जिससे उसका कोई हक हिस्सा मुतदाविया खेताय की भूमि में नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रदर्शित वंशावली में विवाहिता पत्नी कानी (अप्रार्थी संख्या 6 से 8 की माता) का नाम नही दर्शा कर असत्य रूप से मुकेश व जसौदा को अपना पुत्र व पुत्री बताया है जबकि भंवरलाल की जायन्दा संतान हम अप्रार्थीगण है।

इसी प्रकार खसरा नं. 78 च 32 की भूमि भी प्रार्थी एव हम अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसके प्रार्थी ने मिलावट करते हुये पत्नी बुगीदेवी के नाम बैचान करवा दी, जो बैचान विधि विरूद्ध एवं शून्य है। खसरा नं. 484 व 403 की भूमि शुरू से ही हम अप्रार्थीगण की माता कानीदेवी को बंट व हिस्से दिये हुये थे। जिनको प्रार्थी स्वयं द्वारा अपन जिला न्यायालय नागौर में के समक्ष किये गये भरण पोषण के वाद में स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है।

वकील अप्रार्थी ने आगे जवाब में बताया कि खसरा नं. 403 पुश्तैनी खेत है जिस पर कई वर्षो पूर्व नलकूप खुदा हुआ है व कानीदेवी का मकान भी बना हुआ है तथा उक्त खेत हम अप्रार्थीगण की माता कानी को बंट व हिस्से में दिया है।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी अप्रार्थीगण के दादा का देहान्त हो जाने पर खातेदारी में प्रार्थी का नाम आ जाने से नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी ने हमारे नलकूप पर कभी बिजली का कनैक्शन नही होने दिया। प्रार्थी स्वयं वृद्ध व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने ससुराल में निवास करती है मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर हम प्रार्थीगण व हमारी माता का ही कब्जा काश्त है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के पक्ष में है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति या असुविधा होने वाली नहीं है। उक्त भूमि को हम अप्रार्थीगण एवं हमारी माता कानीदेवी द्वारा ही काश्त करसण किया जा रहा है, प्रार्थी इस भूमि से हमे बेदखल करना चाहता है। मुतदाविया खेत खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403 484,647/78, मौजा जौचिणा तहसील जायल की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 के पुश्तैनी व अप्रार्थी कानीदेवी के बंट व कब्जे काश्त हिस्से की भूमि है साथ ही एक ओर खेत 7.03 बीघा का हमारी पुश्तैनी आय से शामलाती रहते हुये खरीद किया हुआ है जो प्रार्थी भंवरलाल ने अपने नाम करवा लिया। जिसमें हम अप्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मुतदाविया खेतायों की भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 से 8 का हक हिस्सा निहित है जिसमें से अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने बाबत् प्राथी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावें कि वे अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को मुतदाविया खेतायों के संबंध में प्रस्तुत वाद का अन्ति तौर पर निस्तारण न होने तक बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी या उसके भू–भाग का बैचान हस्तान्तरण नही करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा शेष पक्षकारान में से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 9 से 10 का इकबालिया जवाब शामिल मिसल हैं। अप्रार्थी संख्या 11 की तलबी हो चुकी है, जो कि परफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 12 जो कि अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित हुई के अधिवक्ता द्वारा जवाब नहीं देने के निवेदन पर जवाब हेतु अवसर बंद किया गया तथा वकुलाय की सहमति पर प्रकरण हाजा में अन्तिम बहस हेतु तारीख नियत की गई।

4. बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78 के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 रेकडेर्ड खातेदार है जिसने अपनी सुविधानुसार बंटवारा कर मौके पर अलग–2 काबिज

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

काश्त है। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 द्वारा खेत खसरा नं. 484 पर काश्त करने से मना कर दिया है व खेत पर काश्त नहीं करने दे रहे है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 6 से 8 द्वारा खसरा नं. 403 पर पूर्व से नाजायज कब्जा कर अवैध नलकूप करवा कर बिना विधुत कनेक्शन के नलकूप संचालित कर इस खसरे पर सिंचाई की जा रही है तथा फसल बोई व अवेंरी जाती है, जबकि उपरोक्त खसरे के रेकडेर्ड खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है, अभी तक राजस्व रेकर्ड व मौके पर किसी प्रकार से भौतिक बंटवारा नही किया गया है। परन्तु फिर अप्रार्थी संख्या 6 से 8 अपने हक हिस्से अधिक भूमि पर काबिज है तथा अभी खसरा नं. 403 व 484 की भूमि पर मकान इत्यादि बना रहे है, जो कि बिना विधिक बंटवारे के किया जाना विधि विरूद्ध है।

अतः मुतदाविया खेताय की भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अन्तिम तौर पर निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 को ग्राम जौचिणा तहसील जायल के खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78, की भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करने तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा क़ाश्त में किसी प्रकार व्यवधान ताफैसला वाद नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।

5. दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने प्रार्थीयां के वकील द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि विवादग्रस्त खसरान की भूमि (खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78) प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 से 8 की पुश्तैनी, कब्जे काश्त व बंट की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का उक्त खेतायों की भूमि हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी बुगीदेवी अप्रार्थी भंवरलाल की विधिक पत्नी नहीं है जिससे उसका कोई हक हिस्सा मुतदाविया खेताय की भूमि में नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रदर्शित वंशावली में विवाहिता पत्नी कानी (अप्रार्थी संख्या 6 से 8 की माता) का नाम नही दर्शा कर असत्य रूप से मुकेश व जसौदा को अपना पुत्र व पुत्री बताया है जबकि भंवरलाल की जायन्दा संतान हम अप्रार्थीगण है। खसरा नं. 78 व 32 की भूमि भी प्रार्थी एव हम अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसको प्रार्थी ने मिलावट करते हुये पत्नी बुगीदेवी के नाम बैचान करवा दी, जो बैचान विधि विरूद्ध एवं शून्य है। इसी प्रकार खसरा नं. 403 पुश्तैनी खेत है जिस पर कई वर्षो पूर्व नलकूप खुदा हुआ है व कानीदेवी का मकान भी बना हुआ है तथा उक्त खेत हम अप्रार्थीगण की माता कानी को बंट व हिस्से में दिया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दादा का देहान्त हो जाने पर विरासत नामान्तकरण से प्रार्थी का नाम खातेदारी में आ जाने से नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी ने हमारे नलकूप पर कभी बिजली का कनैक्शन नही होने

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

दिया। प्रार्थी स्वयं वृद्ध व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने ससुराल में निवास करती है मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नं. 484 व 403 की भूमि शुरू से ही हम अप्रार्थीगण की माता कानीदेवी को बंट व हिस्से दिये हुये थे। जिनको प्रार्थी स्वयं द्वारा अपन जिला न्यायालय नागौर में के समक्ष किये गये भरण पोषण के वाद में स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के पक्ष में है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति या असुविधा होने वाली नहीं है। उक्त भूमि को हम अप्रार्थीगण एवं हमारी माता कानीदेवी द्वारा ही काश्त करसण किया जा रहा है, प्रार्थी इस भूमि से हमे बेदखल करना चाहता है। मुतदाविया खेत खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403 484,647/78, मौजा जौचिणा तहसील जायल की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 6 से 8 के पुश्तैनी व अप्रार्थी कानीदेवी के बंट व कब्जे काश्त हिस्से की भूमि है साथ ही एक ओर खेत 7.03 बीघा का हमारी पुश्तैनी आय से शामलाती रहते हुये खरीद किया हुआ है जो प्रार्थी भंवरलाल ने अपने नाम करवा लिया है, मुतदाविया खेतायों की भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 से 8 का हक हिस्सा निहित है जिसमें से अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने बाबत् प्राथी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावें कि वे अप्रार्थी संख्या 6 से 8 को मुतदाविया खेतायों के संबंध में प्रस्तुत वाद का अन्ति तौर पर निस्तारण न होने तक बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी या उसके भू–भाग का बैचान हस्तान्तरण नही करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

6. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा में मौजा–जौचिणा तहसील–जायल के विवादग्रस्त खेताय की भूमि के संबंध में ही राजस्व वाद संख्या 287/2017 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण हाजा में मौजा जौचिणा तहसील जायल के विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78 के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की गई है तथा अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 8 द्वारा मुतदाविया खेताय की भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा, काश्त एवं खातेदारी होना बताया है तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश करते हुये प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

चूंकि प्रकरण हाजा में अन्य पक्षकारान् भी विवादग्रस्त खसरान की भूमि खातेदार दर्ज है, तथा प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा एक–दूसरे के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति किसी एक पक्ष की बजाय दोनों पक्षों को होना प्रतीत होता है साथ ही भविष्य में मौजा जौचिणा तहसील जायल के उक्त विवादग्रस्त खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78 को लेकर पक्षकारों के मध्य में विवाद बढने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः हमारी राय में प्रकरण हाजा में जब तक मूल वाद संख्या 287/2017 को गुणावगुण के आधार पर विधिवत् निर्णय नहीं हो जाता है तब तक दोनो पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना उचित होगा।

– : : आदेश : : –

अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा जौचिणा तहसील–जायल के खसरा नं. 18, 21, 24, 285, 403, 484, 647/78 की भूमि का बैचान, बक्शीस, हस्तान्तरण नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन ताफैसला वाद न तो स्वयं करे तथा ना ही किसी अन्य करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संख्या 287/2017 के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 31/03/2021 को सरे ईजलास आम लिखा जाकर सुनाया गया।

31/03/2021
(रवीन्द्र कुमार) ए.डी.ओ.
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

सहायक कलक्टर (ए.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner